न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, द्वितीय हापुड़

सत्र परीक्षण संख्या 1792 सन 2012

UPHP010003492012

सरकार बनाम देवेन्द्र उर्फ पप्पन आदि।

मु0अ0सं0—157/2007,
अ0धारा—147,148,149,307 भा0दं0सं0
थाना—गढ़मुक्तेश्वर,
जिला—हापुड़।

दिनांकः 02.05.2023—

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पप्पन हाजिर। अभियुक्त राजीव की ओर से द्वारा अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त मुकर्रम गैरहाजिर। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/मृत्यु आख्या हेतु नियत है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त सोनू पंडित पुत्र हरिदर्शन निवासी मौ0 आदर्श नगर, थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0/मृत्यु आख्या भेजी गयी थी, जिसकी तामील एस0आई0 नीटू मलिक द्वारा की गयी है तथा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ''अभियुक्त सोनू पंडित के मसकन पर दबिश दी गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त की मृत्यु करीब 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कर संलग्न है।''

उपरोक्त के सन्दर्भ में बतौर साक्षी सी.डब्ल्यू0—1 एच0सी 679 रविता चौधरी को न्यायलय में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने बयान में यह कहा है कि ''अभियुक्त सोनू उर्फ पंडित के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी अधिपत्र की तामील थाने पर तैनात एस0आई0 नीटू मलिक द्वारा की गयी है। वारण्ट की पुश्त पर उन्होंने अपने हस्तलेख में अभियुक्त की मृत्यु होना बताया है और साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है। मैं नीटू मलिक के हस्तलेख—हस्ताक्षर को पहचानती हूँ। प्रदर्श ख—1 ता 2 डाला गया।''

मैंने पत्रावली में दाखिल उ0प्र0 सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 03.06.2021 का परिशीलन किया गया, जिसमें अभियुक्त सोनू पंडित पुत्र हरिदर्शन मृत्यु की दिनांक 30.04.2021 अंकित है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अभियुक्त सोनू पंडित पुत्र हरिदर्शन के विरूद्ध उक्त वाद की कार्यवाही अभियुक्त सोनू पंडित पुत्र हरिदर्शन की मृत्यु हो जाने के कारण उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त वाद की कार्यवाही अभियुक्त सोनू पंडित पुत्र हरिदर्शन की मृत्यु हो जाने के कारण उपशमित की जाती है। अभियुक्त मुकर्रम अभी भी गैरहाजिर है। उसकी ओर से समय 3:00 बजे तक कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं है। अतः अभियुक्त मुकर्रम के विरूद्ध एन0बीडब्लू0 दिनांक 30.05.2023 के जारी हो।

(डॉ0 रीमा बंसल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पोक्सो एक्ट द्वितीय, हापुड़।

Digitally signed by
REEMA BANSAL
Date: 2023.05.15
15:43:43 IST
Reason: Order
Location: District and
Sessions
Court,Hapur